

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1969/वैश 11, 1890

No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1969/PAUSA 11, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1969

S.O. 81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, and in addition to the officers appointed by its notification No. 434/UP/67, dated the 11th January, 1967, the Election Commission hereby appoints the Sub-Divisional Magistrate/Additional Sub-Divisional Officer, Phulpur, as the officer to assist the Returning Officer for 55-Phulpur Parliamentary Constituency in the performance of his functions, in connection with the bye-election to be held in the said constituency in pursuance of the Commission's notification No. 100/UP-HP/3/68(1), dated the 1st January, 1969.

[No. 100/UP-HP/3/68(4).]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1969

एस० नो० 82.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ० प्र० 67 दिनांक 11 जनवरी, 1967 द्वारा नियुक्त, प्राफिस्सर्स के प्रतिनिधित्व उपखण्ड में

अपर उपखण्ड आफिसर, फूलपुर की 55-फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर को आयोग की अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०-लो० सं०/3/68 (1), दिनांक 1 जनवरी, 1969 के अनुसरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/उ० प्र०-लो० सं०/3/68(4).]

आदेश द्वारा,

ए० एन० सैन, सचिव।